न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 36 / 2019
प्रविष्टि दिनांक 04.12.2019

गोरव सिंह पुत्र चावण्डसिंह जाति चारण निवासी अड़ूस्या तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 22.10.2019 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री नितिल कुमावत, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री घसीडिया राम बैरवा, तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 22.02.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 22.10.2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 162/2 मे रकबा 2 बीघा किस्म बजड वाके ग्राम अड़ूस्या पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 162/2 मे रकबा 2 बीघा वाके ग्राम अड़ूस्या पर से अपना कब्जा हटा लिया है। वर्तमान मे अपीलांट का किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नही है और भविष्य मे कभी भी किसी भी राजकीय भूमि पर अपना कब्जा नही करेगा। अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाया जावे। अतः अपील अपीलाण्ट सिविल कारावास की सजा की हद तक स्वीकार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:17:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस [illegible] देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपील[illegible] विधिवत [illegible]ल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। [illegible] पत्रावली के अवलो[illegible] यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा [illegible] पर इससे पूर्व में [illegible] अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी बजड भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिकमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 162/2 मे रकबा 2 बीघा किस्म बजड वाके ग्राम अडूस्या तहसील मालपुरा पर ज्वार/मूंग की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बजड भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी माना है, जिस दोष सिद्धी में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार हमारे समक्ष नहीं है। अतः दोष सिद्धी की पुष्टि की जाती है।

जहां तक सिविल कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है। इस संबंध मे अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 162/2 मे रकबा 2 बीघा किस्म बजड वाके ग्राम अडूस्या पर से अपना कब्जा हटा लिया है। वर्तमान मे अपीलांट का किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नही है और भविष्य मे कभी भी राजकीय भूमि अथवा उक्त आराजी पर कब्जा नही करेगा। राजकीय पेरोकार ने भी अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.10.2019 के जरिये की गई दोष सिद्वी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट उक्त भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:17:10 IST
Reason: SelfAttested